

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)**

प्रकरण संख्या :- 221

तारीख 30.5.22

वीरेन्द्र कुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

नानीदेवी पत्नि शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

विपक्षी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट**

-: आदेश :-

दिनांक: 30.5.22

प्रार्थना पत्र वीरेन्द्र कुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा रामपुरिया उर्फ चौपड़ा पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 41 पर अंकित आराजी संख्या 166/39 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्ष सलावटिया को पत्थरगढ़ी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500/- रुपये तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा रामपुरिया उर्फ चौपड़ा पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 41 पर अंकित आराजी संख्या 166/39 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ